भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3334

उत्तर देने की तारीख- 16/12/2024

एनआईओएस की परीक्षा में नकल

3334. **श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की बोर्ड परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में ऐसी कितनी घटनाएं प्रकाश में आई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) : परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) निम्नलिखित एहतियाती कदम उठाता है:

(i) एनआईओएस लोक परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए स्कूलों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन पोर्टल एक महीने की अवधि के लिए खुला रखा जाता है। एनआईओएस के क्षेत्रीय केंद्रों और एनआईओएस मुख्यालयों (समाचार पत्रों, प्रिंट, डिजिटल, सोशल मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से) द्वारा व्यापक प्रचार किया जाता है ताकि स्कूलों/कॉलेजों को एनआईओएस के परीक्षा केंद्र के रूप में कार्य करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। एनआईओएस के अनुरोध पर, केविएस, एनविएस और सीबीएसई जैसे संस्थान राज्यों में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को परिपत्र/आदेश जारी करते हैं और अपने स्कूलों को एनआईओएस लोक परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन करने का निर्देश देते हैं।

(ii) क्षेत्रीय केंद्र पर परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति ऑनलाइन पंजीकृत स्कूलों/कॉलेजों में से जिलेवार स्कूलों/कॉलेजों के नामों की सिफारिश करती है, जिन्हें परीक्षा केंद्र के रूप में निर्धारित किया जाता है, जिसे उसके बाद निदेशक (मूल्यांकन), एनआईओएस द्वारा

अनुमोदित किया जाता है। परीक्षा केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित स्कूलों/संस्थानों को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है।

(iii) प्राथमिकता केन्द्र सरकार के स्कूलों/संस्थानों, राज्य सरकार के स्कूलों/संस्थानों, सीबीएसई से संबद्ध प्रतिष्ठित स्कूलों और अन्य स्कूलों/संस्थानों के क्रम में दी जाती है। एनआईओएस परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण मानदंड के दिशा-निर्देशों को परीक्षा एवं प्रमाणन 2012 को नियंत्रित करने वाले परीक्षा उपनियमों में इस आशय से संशोधित किया गया है।

(iv) निर्धारित परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षकों को परीक्षाओं के सुचारू संचालन के संबंध में नियमित रूप से जानकारी दी जाती है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए केंद्र अधीक्षकों के लिए दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

(v) एनआईओएस सभी मुख्य सचिवों, डीएम और एसपी से परीक्षाओं के सुचारू संचालन में सहयोग का अनुरोध करता है। राज्य/जिला प्रशासन उड़न दस्ते नियुक्त करता है और परीक्षाओं के सुचारू संचालन की निगरानी करता है।

(vi) एनआईओएस पर्यवेक्षकों और उड़नदस्तों की नियुक्ति भी करता है और परीक्षाओं के सुचारू संचालन की निगरानी करता है।

(vii) जिन परीक्षा केन्द्रों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका विशेष मूल्यांकन किया जाता है, नकल और सामूहिक नकल के मामलों की पहचान की जाती है तथा एनआईओएस की परीक्षा और प्रमाणन 2012 को नियंत्रित करने वाले उपनियमों के अनुसार अनुचित साधन समिति द्वारा उचित दंड लगाया जाता है। एनआईओएस की परीक्षा एवं प्रमाणन 2012 को नियंत्रित करने वाले उपनियमों में संशोधन किया गया है, ताकि गलती करने वाले संस्थानों/स्कूलों को एनआईओएस का परीक्षा केंद्र बनने से स्थायी रूप से रोका जा सके।

अनुचित साधन (यूएफएम) मामलों के तीन वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

परीक्षा वर्ष	**अप्रैल में आयोजित परीक्षा**	**अक्टूबर में आयोजित परीक्षा**
2022	7138	9051
2023	17196	1479
2024	929	परिणाम घोषित नहीं किया गया

*****